



सरकूलर नं० अपमा/2016-2018/185

दिनांक : 4-9-2017

कर का भुगतान तभी पूर्ण होगा  
जब देय कर की राशि इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट हो जाएगी।  
इस राशि का केवल लेजर में जमा होगा पर्याप्त नहीं हागा।

जुलाई, 2017 माह के लिये कर देयता पर ब्याज की गणना 26-8-2017 से उस तिथि तक होगी जब कैश/क्रेडिट लेजर कर भुगतान के लिए डेबिट हो जाएगा।

1. जहाँ फॉर्म जीएसटीआर-3बी निर्धारित तिथि के अंदर जमा कर दिया गया है परन्तु, कैश/क्रेडिट लेजर में डेबिट नहीं हुआ है या

2. फॉर्म जीएसटीआर-3 बी निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किया गया है।

फॉर्म जीएसटीआर-3 बी रिटर्न देर से फाइल करने के संबंध में लगन वाली लेट फीस को ही समाप्त किया गया है।

जुलाई – अगस्त, 2017 माह के लिये विवरण एवं रिटर्न दाखिल करने के लिये निर्धारित तिथियाँ निम्नलिखित हैं :-

आवश्यक विवरण	जुलाई, 2017 हेतु	अगस्त, 2017 हेतु
फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न	अंतिम तिथि निकल चुकी है	20 सितंबर, 2017
फॉर्म जीएसटीआर-1 में आउटवर्ड सप्लाइज का विवरण	1 से 5 सितंबर, 2017	16 से 20 सितंबर, 2017
फॉर्म जीएसटीआर-2 इनवर्ड सप्लाइज का विवरण	6 से 10 सितंबर, 2017	21 से 25 सितंबर, 2017
फॉर्म जीएसटीआर-3 में रिटर्न	11 से 15 सितंबर, 2017	26 से 30 सितंबर, 2017

नोट : ऐसे मामले में जहाँ जुलाई, 2017 में पंजीकरण के लिए दायी होने के 30 दिन के अंदर पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया गया है, लेकिन पंजीकरण अगस्त, 2017 में दिया गया है, वहाँ जुलाई, 2017 और अगस्त, 2017 के लिए एक रिटर्न (पहली रिटर्न) साथ में फाइल करनी होगी और तदनुसार कर भुगतान भी करना होगा

कृप्या उपरोक्त शिड्यूल का पालन करें ताकि लेट फीस आर ब्याज से बचा जा सकें।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 186

## **E-Way Bill**

### **\*Rules related to E-Way Bill-As Per Notification No-27/2017 Dated 30-08-2017\*-**

1. \*Consignment Value Exceeds Rs 50000\*- Eway Bill to be generated in Form GST EWB-01
2. \*Procedure\*- Supplier will fill Part-A of Form GST EWB-01 and then Transporter will fill Part-B of Form GST EWB-01 before movement of Goods.
3. \*Distance < 10 Km\*- where the goods are transported for a distance of less than ten kilometres within the State or Union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in Part-B of the e-way bill.
4. \*Unique e-way bill number (EBN)\*- Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the \*supplier\*, the \*recipient\* and the \*transporter\* on the common portal.
5. \*Transporter transferring goods from one conveyance to another\* - in the course of transit shall, before such transfer and further movement of goods, update details of conveyance in the e-way bill on the common portal in FORM GST EWB-01.
6. \*Multiple consignments in one conveyance\*- A consolidated e-way bill in FORM GST EWB-02 has to be generated by the Transporter which contains the serial No of all the individual Consignments.
7. \*Cancellation of E-way Bill\*- If Goods are not transported after generation of E-way Bill than it need to be cancelled within 24hrs of its generation
7. \*Validity of E-way Bill\*- Upto 100km one day and additional 1 Day for each additional 100 Km
8. \*No E-way Bill is Required in the following cases\*- Goods Specified in Annexure to E-Way Rules, Goods Transported by Non-motorised Conveyance,

### **The date from which the rules will come into effect is yet to be notified.**

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 187

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि अपमा टेलीफोन डायरेक्ट्री एवं अपमा गोल्डन जुबली डायरेक्ट्री 50/— रूपये में अपमा कार्यालय में उपलब्ध है। यदि किसी व्यापारी भाईयों को टेलीफोन डायरेक्ट्री की आवश्यकता है तो अपमा कार्यालय में आकर 50/— रूपये देकर अपमा टेलीफोन डायरेक्ट्री या अपमा गोल्डन जुबली डायरेक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं।

सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 188 **“अपमा निःशुल्क चिकित्सालय”**

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि हर सोमवार, बुद्धवार एवं शुक्रवार के दिन योग्य एवं अनुभवी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी सुबह 10.00 बज से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक अपमा डिस्पेन्सरी में अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों, ठेलेवाले, झल्लीवाले एवं जरूरतमंद मरीजों को चिकित्सा सहायता हेतु अपमा डिस्पेन्सरी में अवश्य भेजें एवं आप स्वयं भी डिस्पेन्सरी में आकर अपना इलाज करवायें।

व्यापारी भाईयों, अपमा डिस्पेन्सरी 80(G) के अन्तर्गत पंजीकृत है। डिस्पेन्सरी हेतु दी हुई दान राशि पर आपको इनकम टैक्स के अन्तर्गत 50% छूट मिलेगी।

( राकेश कुमार )  
जनसम्पर्क अधिकारी